UPRB010003862025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती प्रतिमा, (उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP2637

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या –204/2025

1– अनुज कुमार उम्र 25 वर्ष पुत्र इन्द्रपाल पासी, निवासी देवइया मजरे इचौली, थाना बछरावां, जिला रायबरेली।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1– उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

.....अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या–730/2022,
धारा 323, 504, 506, 427 भा०दं०सं०
थाना बछरावां, जिला रायबरेली।

दिनांक–13.02.2025

प्रार्थी/अभियुक्त **अनुज कुमार** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–730/2022, धारा 323, 504, 506, 427 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–बछरावां, जिला–रायबरेली के मामले में जनानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त आज तक अन्तरिम जमानत पर था तथा अभियुक्त आज व्यक्तिगत रूप से न्याया–लय में उपस्थित है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा वादी मुकदमा को अन्तर्गत धारा 15A(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 सूचित किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि " प्रार्थी अपने दोस्त के यहां जन्मदिन मे देवइया पोस्ट केरइसदवली मजरे इचबली गया था। वहां से वापस आ रहा था। तभी वही गांव के रहने वाले अनुज कुमार और ओमप्रकाश, छोटूपाल और वहां के रहने वाले अज्ञात लोगो ने मारपीट की, जिसकी वजह से शरीर पर गंभीर चोटें आई है। प्रार्थी के साथ पांच लोग थे जिनका नाम अभिषेक, अजय कुमार। अभिषेक के हाथ मे चोट भी आई है और चार मोबाइल फोन गिर गया है और बाइक तोड़ दिया है बाइक उसी देवइया गांव मे छोड़कर भाग आऐ है। उन लोगों ने जान से मारने की धमकी भी दी है। मैं पासी बिरादरी का हूँ। इन्होंने जातिसूचक गालियाँ भी दी है।"

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र व संलग्न शपथपत्र के माध्यम से मुख्यतः **सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो आंफ इन्वेस्टीगेशन एण्ड एनअदर (2021) 10 एस०सी–०सी० 773, सिद्धार्थ बनाम द स्टेट आंफ उत्तर प्रदेश एण्ड एनअदर 2022 (1) एस०सी०सी० 676 एण्ड अमन प्रीत सिंह बनाम सी०बी०आई० थ्रू डायरेक्टर 2021 एस०सी०सी० आनलाइन एस०सी० 941** में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर जमानत प्रदत्त करने की याचना की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा संक्षिप्तः यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का कोई समय नहीं दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा कथित दिनांक व समय व स्थान पर किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गयी है और न ही वादी मुकदमा को किसी प्रकार की जानमाल की धमकी दी गयी और न ही मारा पीटा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्ष्य का पूर्णतया अभाव है। प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच समझ कर राय मशविरा के आधार पर पंजीकृत करायी गयी है विलंब का कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उपरोक्त मामले मे प्रार्थी/अभि० के विरूद्ध लगाये गये आरोप 7 साल से कम सजा के प्राविधान के है। प्रार्थी/अभि० द्वारा कथित घटना के पश्चात स्थानीय पुलिस द्वारा 41 (ए) सी०आर०पी०सी० की नोटिस के बाद विवेचक को विवेचना मे पूर्ण सहयोग किया है जिसके उपरांत विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। तथा अभियुक्त को विवेचक द्वारा उपरोक्त मामले मे गिरफ्तार नहीं किया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध महज गांव की चुनावी पार्टीबंदी के कारण वादी मुकदमा ने सांठ गाठ कर गलत एंव फर्जी तथ्यो के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा किसी अन्य जनपद न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय मे न तो प्रस्तुत किया गया है न ही विचाराधीन है,न ही स्वीकृत किया गया है न ही निरस्त किया गया है। वाद उपरोक्त में प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानतें देने को तैयार है उसका वह दुरुपयोग नहीं करेगा एवं माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करेगा एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया एवं कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया गया तो प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों का पालन न किये जाने तथा नियत तिथि को समय से उपस्थित न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोप है कि उनके द्वारा सह अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा विपनेश कुमार को मारा पीटा गया एवं गंदी–गंदी गालियाँ देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी तथा उसकी बाइक तोड़ दी गयी। अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 427 भा०दं०सं० से सम्बन्धित है। उक्त अपराध अधिकतम सात वर्ष या उससे कम कारावास से दण्डनीय है। प्रकरण में विवेचना के उपरान्त आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त आज तक अन्तरिम जमानत पर था, उनके द्वारा अन्तरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सी०बी०आई० व अन्य** में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के प्रकाश में, मामले के गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये, अभियुक्त उपरोक्त को

जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वी–कार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **अनुज कुमार पुत्र इन्द्रपाल पासी** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–730/2022, धारा 323, 504, 506, 427 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–बछरावां, जिला–रायब–रेली में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त अपराध में **पच्चीस हजार रूपये** का निजी बन्धपत्र एवं उसी धनराशि की दो जमानतें और अधोलिखित शर्तों का अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

1– वह अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा व गवाहों को डरायेगा, धमकायेगा नहीं।

2–जमानत पर रिहा होने के उपरान्त किसी अपराधिक गतिविधियों में या अन्य अपराध कारित करने में सम्मिलित नहीं होगा।

3–वह मुकदमें के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करेगें और साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर जब साक्षीगण न्यायालय उपस्थित हो, स्थगन नहीं लेगा।

4–वह अभियोजन द्वारा अभियोजन प्रारम्भ करने की तिथि पर, आरोप विरचित किये जाने की तिथि पर तथा धारा 313 दं०प्र०सं० का बयान अभिलिखित किये जाने की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उप–स्थित रहेगा।

(श्रीमती प्रतिमा)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
रायबरेली।

Maneesha Kumari
(Stenographer)

Digitally signed by PRATIMA TIWARI
Date: 2025.02.13 16:26:30 IST
Reason: Order
Location: Special Judge SC/ST, Raebareli